मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

क्र.एफ-22/चार/ब-1/2000 — भोपाल, दिनांक 6.1.2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कोषालय/उपकोषालय अधिकारी

विषय:- क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध।

संदर्भ:- इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 57/87/चार/ब-1 दिनांक 20.1.87, क्रमांक 1218/87/चार/ब-1 दिनांक 10.12.87, क्रमांक 1098/88/चार/ब-1 दिनांक 29.10.88, क्रमांक 8/91/चार/ब-1 दिनांक 4.1.91 एवं क्रमांक 47/96/चार/ब-1 दिनांक 12.1.96

उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाये रखने के लिए स्थाई निर्देश प्रसारित किए गए हैं। इसके उपरांत भी यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में क्रय किया जाता है। यह शासन के हित में नहीं है। अत: निम्नानुसार निर्देश तत्काल प्रभाव से प्रसारित किये जाते हैं:-

(एक) 15 जनवरी के बाद क्रय पर पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध लघु उद्योग निगम एवं सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से क्रय की जाने वाली सामग्री पर भी लागू रहेगा परंतु विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(दो) क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध के फलस्वरूप 15 जनवरी से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक क्रय के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त शक्तियां अधिक्रमित रहेगी।

2. उक्त निर्देशों में किसी भी प्रकार का शिथिलीकरण वित्त विभाग की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(सेवाराम)
अपर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र.एफ-23/चार/ब-1/2000 — भोपाल, दिनांक 6.1.2000

प्रतिलिपि:-

1. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश की ओर 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित अग्रेषित कर निवेदन है कि समस्त जिला अधिकारियों को अपने युक्तियुक्त निर्देशों सहित यह परिपत्र वितरित कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश (लेखा/आडिट) ग्वालियर, भोपाल की ओर 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं/बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

हस्ता/-
(आर.एन. पचौरी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग